न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2019 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 08.03.2019
G.C.M.S. NO. :_ 2019/00012

श्रीमति देऊ पत्नि नाहरमल जाति जाट, उम्र 60 वर्ष निवासी रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–ग्राम पंचायत रेवाड़ा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–रामेश्वरलाल पिता नानूराम जाति जाट निवासी रेवाड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 22 दिनांक 01.06.2017 ग्राम पंचायत रेवाड़ा

उपस्थिति : 1–श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया, अधिवक्ता निगराकार

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 04/2019 (नि.पं.)
श्रीमति देऊ पत्नि नाहरमल जाट निवासी रेवाड़ा तहसील राशमी बनाम ग्राम पंचायत रेवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत रेवाड़ा तहसील राशमी वगैरा

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत रेवाड़ा द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 01.06.2017 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी करने से निरस्त योग्य है। वर्णित भूखण्ड मौके पर भूखण्ड नहीं होकर मूलतः गंगा देवी व जमना देवी का मकान व बाड़ा था जिस पर कई वर्षो से गंगा देवी जाट व जमना देवी जाट निवासरत थी फिर भी इन तथ्यों की अनदेखी कर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत रेवाडा द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 1 के नोटिस लेने से मना करने से गैर निगराकार संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल गाडरी ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया उसके बाद गैर निगराकार संख्या 2 तथा उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत रेवाड़ा से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्र्राम पंचायत रेवाड़ा ने बिना जांच पड़ताल किए गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 22 दिनांक 01.06.2017 को जारी कर दिया जबकि पट्टे में वर्णित भूखण्ड मौके पर भूखण्ड नहीं होकर मूलतः गंगा देवी व जमना देवी का मकान व बाड़ा था जिस पर कई वर्षो से गंगा देवी व जमना देवी निवासरत थी फिर भी ग्राम पंचायत ने उक्त तथ्यों की अनदेखी कर निगराकार के मकान व बाड़े की भूमि में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार से कोई सार्वजनिक उजरदारी विज्ञप्ति जारी नहीं की और ना ही आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया तथा बाले-बाले ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से पट्टा जारी कर दिया जिसमें नीलाम बोली की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई और मात्र 200/-रूपये फीस पर पट्टा जारी कर दिया। विवादित भूखण्ड की मूल खातेदार गंगा देवी व जमना देवी दोनों बहिनों के पुराने मकान व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाडे की जमीन है जिसे उन्होने निगराकार देऊ को विक्रय कर दिया लेकिन निगराकार के बाहर रहने का फायदा उठाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने बिना सुनवाई का अवसर दिए गैर निगराकार संख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया। गंगा बाई व जमना बाई द्वारा मकान व बाडे को क्रमशः रामेश्वरलाल व उसकी माता देऊ बाई को विक्रय किया था जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल कायम नहीं की, तीन पंचों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की न ही नजरी नक्शा बनाया और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उजरदारी नोटिस जारी किया सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से करते हुए गैर निगराकार संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उसके पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो नियमों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 ने जवाब पेश किया कि ग्राम पंचायत रेवाड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या 5/16 दिनांक 30.05.2017 की अनुपालना में गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है गैर निगराकार संख्या 2 को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया है। विनियमितिकरण के तहत राशि लेकर पुराने आवासीय मकान का पट्टा जारी किया गया है जिसमें गैर निगराकार संख्या 2 अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। विवादित भूखण्ड पर गंगादेवी व जमनादेवी व रामेश्वरलाल का कोई स्वत्वहित अधिकार नहीं है केवल गैर निगराकार संख्या 2 को नाजायज जलील व परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य होने से निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। गैर निगराकार संख्या 2 को पट्टा जारी करने हेतु तैयार मिसल संख्या 19 दायर दिनांक 05.05.2017 का अवलोकन किया जिसके अनुसार पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त होने से पट्टा जारी करने तक की कार्यवाही एक साथ टाईप की गई है जिसमें बीच-बीच में दिनांक हाथ से लिखी गई है जिससे प्रथम दृष्टया सारी कार्यवाही एक ही दिवस में कार्यालय में बैठे-बैठे तैयार करने संबंधी पुष्टि होती है।

प्रकरण संख्या 04/2019 (नि.पं.)
श्रीमति देऊ पत्नि नाहरमल जाट निवासी रेवाड़ा तहसील राशमी बनाम ग्राम पंचायत रेवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत रेवाड़ा तहसील राशमी वगैरा

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया है किन्तु पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व परिवार के अन्य सदस्यों यथा माता–पिता, भाई आदि की अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई है। गैर निगराकार संख्या 2 के नाम पट्टा जारी करने हेतु कायम मिसल क्रमांक 19 का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट प्रतिवेदित है कि मिसल में दिनांक 22.05.2017 में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र जारी करने का अंकन है किन्तु उक्त नोटिस किन व्यक्तियों के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया है किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है। सूचना पत्र एक माह की अवधि के लिए आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है किन्तु एक माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही 09 दिवस बाद ही दिनांक 01.06.2017 को ही गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया है जो कि राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत होकर नियम 148 का स्पष्ट उल्लंघन है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् पंचायती राज अधिनियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है तथा कार्यालय में बैठे–बैठे ही मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए एक ही दिवस में सम्पूर्ण मिसल तैयार किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में मिसल संख्या 19 से दिनांक 01.06.2017 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रेवाड़ा, पंचायत समिति, राशमी द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 22 दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

Web Copy - Not Official